औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी, ज़िला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) के छात्र कल्याण निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2011 से 3/2013

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित बकाया पैरों के निपटारे हेतु संस्थान द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करने के उपरान्त अंकेक्षण अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/86 से 7/88

1	पैरा–7	निर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/08

1	पैरा–5	निर्णीत
2	पैरा–6	निर्णीत
3	पैरा–7	निर्णीत
4	पैरा–8	निर्णीत (प्रस्तुत प्रत्युत्तर के दृष्टिगत)

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/11

1	पैरा–3	निर्णीत
2	पैरा–4 (क तथा ख)	निर्णीत
3	पैरा–4 (ग)	निर्णीत
4	पैरा–4 (घ)	निर्णीत
5	पैरा–5	निर्णीत

6	पैरा–6	निर्णीत	
7	पैरा–7	निर्णीत	
8	पैरा–8	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रत्युत्तर के दृष्टिगत)
9	पैरा–9	निर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी, ज़िला कुल्लू के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2013 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए है, श्रीमती इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी व श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 3.3.14 से 5.3.14 तक शमशी (कुल्लू) में किया गया। आय की विस्तृत ज़ाँच हेतु माह 7/2011, 8/2012 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए 4/2011, 12/2012 को चयनित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान संस्थान में श्री सुनील शर्मा आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहे।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। संस्थान द्वारा प्रदत्त किसी अभिलेख/सूचना के गलत अथवा अपूर्ण होने और या फिर उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित हैं।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी, ज़िला कुल्लू के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2013 का अंकेक्षण शुल्क ₹3300/–आँका गया जिसे अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40 दिनांक 05.03.2014 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को रेखाँकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। संस्थान द्वारा उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 662619

दिनाँक 06.03.2014 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी, ज़िला कुल्लू के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 4/11 से 3/2013 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	अवधि	गतशेष	आय	ब्याज	कुल जमा	भुगतान	अन्तशेष
1	2011–12	5479957	1746478	913639	8140074	3434161	4705913
2	2012–13	4705913	2605799	1128408	8440120	1688028	6752092

अन्तशेष का विवरणः–

31.3.11 को रोकड़ वही के अनुसार शेष	₹6752092
बैंक खाता सं0 20130031372 में जमा राशि	₹1018162
FDR परिशिष्ट–I के अनुसार	₹5750000
हस्तगत राशि	₹180
	6768342
अन्तर	₹16250
अन्तर का कारण	₹16250 के चैक संख्या 456719 का क्रेडिट बैंक द्वारा 31.3.2013 तक प्रदान नहीं किया गया

5 बैंक द्वारा सावधि जमा राशि पर ₹10610/– कम ब्याज प्रदान करनाः–

संस्थान द्वारा सावधि जमा संख्या 707112 में दिनाँक 20.1.2009 को ₹500000 की राशि निवेशित की गई जो दिनाँक 31.1.2011 को परिपक्व होनी थी। परिपक्वता की तिथि को इस पर ₹81509 ब्याज देय था लेकिन संस्था द्वारा इस निवेशित राशि को दिनाँक 4.4.2011 को भुनाया गया तथा बैंक द्वारा संस्थान को इस अतिरिक्त अवधि अर्थात 1.2.2011 से 3.4.2011 का कोई अतिरिक्त ब्याज प्रदान नहीं किया गया।

यद्यपि अंकेक्षण द्वारा इस प्रकरण को उजागर करने पर संस्थान द्वारा यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाया गया तथा बैंक द्वारा दिनाँक 4.3.14 को ₹10610/– की ब्याज प्रविष्टि संस्थान की बैंक पास बुक में कर ली गई है तथा संस्थान द्वारा इस प्राप्त राशि का रोकड़ बही के पृष्ठ 98 पर लेखाँकन कर पुष्टि अंकेक्षण से भी करवा ली है तथापि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति दोबारा घटित न हो पाना सुनिश्चित किया जाए।

6 उपकरण एवं यन्त्र निधि का संचालन छात्र कल्याण निधि के साथ करनाः–

ज़ाँच में पाया गया कि माह जून 2012 में सावधि जमा योजना संख्या 768895 की परिपक्वता राशि ₹2262337/– को केनरा बैंक खाता संख्या 2420101004428 जोकि उपकरण एवं यन्त्र से सम्बन्धित खाता है, में डाला गया जबकि यह राशि छात्र कल्याण निधि से सम्बन्धित थी। बचत खाता संख्या 20130031372 के अवलोकन पर पाया गया कि दिनाँक 29.6.2012 को इस में ₹2262337 के स्थान पर ₹2340000/– की प्रविष्टि ली गई जोकि परिपक्व राशि से ₹77663/– अधिक है। छानबीन पर पाया गया कि यह राशि उपकरण एवं यन्त्र निधि से सम्बन्धित है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि छात्र कल्याण निधि की परिपक्व राशि को स्थानान्तरित करते हुये चूकवश उपकरण एवं यन्त्र निधि की राशि को भी साथ ही स्थानान्तरित कर दिया गया है। अतः इस प्रकरण की छानबीन करते हुए इस प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

7 सरकारी कोष में ₹2000/– कम जमा करवानाः–

सरकारी कोष में जमा की जाने वाली राशियों से सम्बन्धित चालानों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार प्रशिक्षुओं से प्राप्त राशियों को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया हैः–

दिनाँक	रसीद सं0	शुल्क का विवरण	राशि
13.7.11	1907	शैक्षणिक शुल्क	₹1200
3.8.12	2741	प्रवेश शुल्क	₹200

3.8.12	2742	प्रवेश शुल्क	₹200
3.8.12	2743	प्रवेश शुल्क	₹200
3.8.12	2744	प्रवेश शुल्क	₹200
		कुल योग=	**₹2000**

यद्यपि इस अनियमितता को अंकेक्षण द्वारा उज़ागर करने पर ₹2000/– की यह राशि संस्थान द्वारा चालान संख्या 97 दिनाँक 4.3.2014 द्वारा सरकारी कोष में जमा करवा दी है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है तथापि भविष्य में आन्तरिक ज़ाँच को सुदृढ़ बनाते हुए ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति घटित न हो पाना सुनिश्चित किया जाए।

8 प्राप्त राशियों को सरकारी कोष में अत्यन्त विलम्ब से जमा करनाः–

प्रशिक्षुओं से प्राप्त शुल्कों की विस्तृत ज़ाँच में पाया गया कि संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं से प्रवेश शुल्क ₹200 प्रतिछात्र व शैक्षणिक शुल्क ₹2400/–' प्रतिछात्र प्रतिवर्ष की दर से वसूली गई लाखों ₹ की राशियों को वसूली उपरान्त सरकारी कोष में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम में विहित प्रावधानानुसार वसूली के तुरन्त बाद सरकारी कोष में चालान के माध्यम से जमा करवाने की बजाए प्राप्त राशियों को पहले तो छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया तथा तदोपरान्त अत्यन्त विलम्ब से इन राशियों को छात्र कल्याण निधि से निकालकर सरकारी कोष में जमा करवाया। संस्थान द्वारा ऐसी अनियमितता अंगीकृत करना नियमों व लेखाँकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध है जिस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

सरकारी कोष में देरी से जमा करवाई गई राशियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

प्रशिक्षुओं से राशियाँ प्राप्त करने की अवधि	**कुल राशि**	**सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि**
6.7.10 से 13.8.11	₹1086300	3.1.2012
6.7.12 से 29.9.12	₹881100	27.12.2012

अतः उपरोक्त त्रुटिपूर्ण लेखाँकन की प्रक्रिया में अविलम्ब रोक लगाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

9 ट्रेनिंग एवं प्लेसमैन्ट फण्ड को छात्र कल्याण निधि के साथ जमा न करनाः–

विवरण पुस्तिका पृष्ठ संख्या 27 खण्ड–4.1 उपखण्ड IX के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षु से ट्रेनिंग एवं प्लेसमैनट फण्ड के रूप में ₹100 प्रतिवर्ष वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि इस मद से प्राप्त निधि की राशि को छात्र कल्याण निधि के साथ जमा नहीं करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त वसूली से सम्बन्धित राशि किस खाते में जमा करवाई गई व लेखाँकन कहाँ किया गया से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त फण्ड का अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध न करवाने के कारणों से अवगत करवाते हुए उक्त अभिलेख सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाए।

10 ₹5000 के अग्रिम की वसूली अत्यन्त विलम्ब से बिना दण्ड ब्याज के करनाः–

रोकड़ वही पृष्ठ संख्या 109 दिनाँक 2.4.2011 के अवलोकन पर पाया गया कि ₹5000 का अग्रिम भुगतान छात्र कल्याण निधि से श्री लेखराम, वरिष्ठ सहायक को टैक्सी भाड़े हेतु किया दर्शाया गया है। परन्तु संस्था द्वारा इस राशि के समायोजन से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस विषय को अंकेक्षण द्वारा उज़ागर करने पर संस्था द्वारा श्री लेख राम, वरिष्ठ सहायक से रसीद संख्या 3771 दिनाँक 5.3.14 के अन्तर्गत उक्त ₹5000/– की राशि की वसूली करके रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 109 में प्रविष्टि कर दी गई है किन्तु यह वसूली बिना दण्ड ब्याज के की गई है। अतः दण्ड ब्याज की गणना करके अपेक्षित वसूली चूककर्ता से सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाने के अतिरिक्त भविष्य में ऐसे प्रकरण घटित न हो पाना भी सुनिश्चित किया जाये।

11 **लधु आपत्ति विवरणीः—** यह अलग से ज़ारी नहीं की गई है।

12 **निष्कर्षः—** छात्र कल्याण निधि लेखाओं के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी (15)V(III) 87/87 खण्ड—III दिनांक, 12.5.2014,शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शमशी, ज़िला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को अतिशीध्र भिजवायें।

2 प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेंश सरकार

3 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हि0प्र0 सुन्दरनगर, ज़िला मण्डी, हि0प्र0

4 श्रीमती इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.